(83)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक 2987–तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.04.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 58/बी–121/2011–12

---

1. श्रीमती रामश्री दुबे पत्नी स्व. श्री परमेश्वरी दास दुबे
   आयु 65 साल
2. राकेश कुमार दुबे पुत्र स्व. श्री परमेश्वरी दास दुबे
   आयु 50 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम पहरापुरवा
   तहसील राजनगर जिला छतरपुर हाल निवासी
   न्यू कॉलोनी छतरपुर (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

<u>विरुद्ध</u>

1. श्रीमती मुन्नीराजा पत्नी श्यामले जू ठाकुर
   निवासी सत्ती की मड़िया राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. श्याम किशोर पुत्र भवानीदीन ब्राह्मण
   निवासी पहरापुरवा तहसील राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर

अनावेदक क. 1 एवं 2 की ओर से श्री आर.डी. शर्मा एवं अनावेदक क. 3 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री प्रखर डेंगुला

आदेश

(आज दिनांक 22/12/17........को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण

कमांक 58 / बी–121 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार राजनगर के नामांतरण पंजी क. 8 / 12 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो आवेदक की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 02.05.2012 को निरस्त हुई। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 35(3) के तहत पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया गया जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3 / आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय ने नामांतरण पंजी को प्रमाणित करते समय इस तथ्य को अनदेखा किया है कि विवादित भूमि तहसील राजनगर में स्थित है जबकि विकयपत्र का पंजीयन छतरपुर में कराया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील व्यवहार न्यायालय की प्रकिया का पालन करते हुए अदम पैरवी में खारिज की गई जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35(3) का आवेदन किया गया परंतु उक्त आवेदन पर विधिवत् विचार किये बिना उक्त आवेदन निरस्त किया गया है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4 / अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वे गुणदोष पर हैं जो अभी इस प्रकरण में विचारणीय नहीं हैं, क्योंकि प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने पर रेमेडी संहिता की धारा 35(3) की अपील है जहां तक धारा 35(3) के तहत आवेदन निरस्त हुआ है तो उसकी रेमेडी संहिता की धारा 35(4) के तहत अपील है जो मूल न्यायालय को होगी । आवेदक को

कलेक्टर न्यायालय में अपील की जाना चाहिए था इस न्यायालय के समक्ष रेमेडी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई जो दिनांक 2–5–12 को अदम पैरवी में निरस्त हुई । अदम पैरवी में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किए जाने पर व्यथित पक्षकार संहिता की धारा 35(4) के तहत उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है । इस प्रकार इस प्रकरण में आवेदकों को कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिए था नाकि इस न्यायालय में निगरानी। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। आवेदकगण सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर